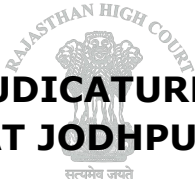


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8201/2026

CNR: RJHC010586242026

URN: CRLMB / 17759U / 2026

Farsaram S/o Shri Andaram, Aged About 29 Years, Resident Of Hanuman Sagar, Naya Bera, Lohawat, Police Station Lohawat, District Phalodi, Rajasthan. Presently Lodged In District Jail, Jodhpur

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Ashok Bishnoi through VC

For Respondent(s) : Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

08/07/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना सदर कोतवाली, जिला जोधपुर सिटी पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 127(2), 308(6), 319(2) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 66-डी आई.टी. एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि रुपये 2,00,070/- प्रार्थी-अभियुक्त के खाते में आना पुलिस द्वारा माना गया है, जिस राशि की डी.डी. वे जमा कराने को तैयार हैं। सशर्त जमानत प्रार्थी-अभियुक्त को दिये जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में रुपये 2,00,070/- प्रार्थी-अभियुक्त के खाते में आये हैं, जो प्रार्थी-अभियुक्त डी.डी. के माध्यम से जमा करवाने को तैयार है। बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा रुपये 2,00,070/- की राशि डी.डी. के माध्यम से जमा कराने की शर्त के साथ प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **फरसारां पुत्र अणदारां** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तथा इस शर्त के साथ कि प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा रुपये 2,00,070/- की राशि परिवादी के नाम की डी.डी. के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय में जमा करवा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J